C-40888/CGST
09/09/19

17

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

1964/Acct/Policy
9-9-19

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3 (31)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/ 396 **Dated:** 03/09/19

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2018

Order No.4/2018-State Tax

No. F.3(31)/Fin(Rev-I)/2019-20 /- WHEREAS, sub-section (4) of section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month;

AC(P)
L&

AND WHEREAS, certain operators, were unable to obtain registration because of technical issues being faced by them on the common portal but they collected the amount for the months of October, November and December 2018, as a result whereof, the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act could not be furnished and because of that certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said sub-section;

345-P
12-9-19

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

1. Short title. —This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fourth Removal of Difficulties) Order, 2018.

2. In section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, in sub-section (4), the following Explanation shall be inserted, namely: —

"*Explanation*: - For the purposes of this sub-section, it is hereby declared that the due date for furnishing the said statement for the months of October, November and December, 2018 shall be the 31st January, 2019.".

11/9
AC (Policy)
Vivek Mittal

2. This order shall come into force with effect from the 31st day of December, 2018.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi

(A.K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

No. F.3 (31)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/ 396 **Dated:** 03/09/19

Copy forwarded for information to:-

1. The Addl. Chief Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, Delhi
2. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
4. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
5. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
6. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
7. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website.

(A.K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भागचारमें प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
दिल्लीसचिवालय, आई. पी. इस्टेटः नई दिल्ली–110002.

सं0फा0 03(31)/वित्त(राज0-1)/2019-20/डीएस-VI/ 396 दिनांक: 03/09/19

दिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2018

आदेश स.04/2018-राज्य कर

सं0फा0 03(31)/वित्त(राज0-1)/2019-20/- दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 52 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भी हैं, के ब्यौरे और मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के पश्चात् दस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से एक विवरण प्रस्तुत करेगा ;

और कतिपय प्रचालक, जो सामान्य पोर्टल पर उनके द्वारा तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के कारण रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहे थे किंतु उन्होंने अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए रकम का संग्रहण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन वे विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके और जिसके कारण उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उद्भूत हुई हैं;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम–इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्लीमाल और सेवा कर (चौथा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है ।

2. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियमं, 2017 की धारा 52 की उपधारा (4) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख 31 जनवरी, 2019 होगी।"।

2. यह आदेश दिसम्बर 31, 2018 से लागू माना जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(ए॰के॰सिंह)
उप- सचिव-VI (वित्त)

सं0फा0 03(31)/वित्त(राज0-1)/2019-20/डीएस-VI/ 396 दिनांक: 03/07/19

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
2. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ।
4. अतिरिक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. नि.स. नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
7. आयुक्त, राज्य कर,, दिल्ली, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल ।
11. वेबसाइट।

(ए॰के॰सिंह)
उप- सचिव- VI (वित्त)

IndiaCode